म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/1–2/25/मकसूदनगढ/1649   भोपाल, दिनांक 05/4/2019

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आचंलिक कार्यालय (समस्त)

2 सचिव/भारसाधक अधिकारी,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषयः—मण्डी समितियों मे व्यापारी से व्यापारी द्वारा किये गये कृषि उपज के सौदो के संबंध मे।

उपरोक्त विषयांतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति मकसूदनगढ मे मेसर्स सुंदरम ट्रेडर्स मकसूदनगढ द्वारा फर्म बंसल ट्रेडर्स एवं अग्रवाल ट्रेडर्स को कृषि उपज सोयाबीन और चना विक्रय आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। उपरोक्त किये गये सौदे का भुगतान क्रेता फर्म द्वारा विक्रेता फर्म को नही किये जाने की शिकायत संबंधित विक्रेता फर्म द्वारा मण्डी बोर्ड मे लगातार की जा रही थी।

उपरोक्त के संबंध मे व्यापारियों द्वारा आपसी किये गये सौदो का मण्डी बोर्ड द्वारा निराकरण नही किया जाता है। मण्डी बोर्ड कृषको के हितो की संस्था है। कृषक द्वारा अपनी कृषि उपज मण्डी प्रांगण मे विक्रय हेतु लाई जाती है तो मण्डी का यह दायित्व है कि संबंधित कृषक को उसकी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तथा सही तौल एवं उसी उसका भुगतान संबंधित क्रेता व्यापारी से कराया जाए।

अतः उपरोक्त के संबंध मे समस्त मण्डी सचिवो को निर्देशित किया जाता है कि व्यापारियो द्वारा किये जा रहे आपसी सौदो के भुगतान के संबंध मे बाध्य नही है और इस प्रकार की शिकायत के लिये किसी भी प्रकार का पत्राचार मण्डी बोर्ड को नही किया जाए। इस प्रकार की घटना संज्ञान मे आने पर संबंधित व्यापारी को समक्ष मे समझाईस दी जाकर यह अवगत करा दिया जाए कि आपसी सौदो (व्यापारी से व्यापारी) पर किये गये भुगतान के लिये व्यापारिक फर्म न्यायालय के शरण मे जाने के लिये स्वतंत्र है।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / 1–2 / 25 / मकसूदनगढ /1650 भोपाल, दिनांक 05 / 4 / 2019

प्रतिलिपि :–

1 श्री प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी मकसूदनगढ जिला–गुना के ज्ञापन दिनांक 28.03.2019 के तारतम्य मे सूचनार्थ।

2 श्री अमित कुमार बंसल प्रो अग्रवाल ट्रेडर्स मकसूदनगढ जिला–गुना के ज्ञापन दिनांक 28.03.2019 के तारतम्य मे सूचनार्थ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल